रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 339] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 1, 2014/आषाढ़ 10, 1936
No. 339] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 1, 2014/ASHADHA 10, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2014

सा.का.नि. 424(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) संशोधन नियम, 2014 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 के नियम 14 के उप नियम (2) के खंड (क) में द्वितीय परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

"परंतु यह भी कि द्वितीय परंतुक में उल्लिखित गैर-संपरिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए कोई प्रस्थापना या आमंत्रण इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से छ: महीने के अंदर किए जाने की दशा में द्वितीय परंतुक में उल्लिखित विशेष संकल्प इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से छ: महीने की उक्त अवधि में पारित किया जा सकता है।"

[फा.सं.1/21/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 251(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2014

G.S.R. 424 (E).—In exercise of the powers conferred by section 42 read with sub-section (1) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014, in rule 14, in sub-rule (2), in clause (a), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that in case of an offer or invitation for non-convertible debentures referred to in the second proviso, made within a period of six months from the date of commencement of these rules, the special resolution referred to in the second proviso may be passed within the said period of six months from the date of commencement of these rules." .

[F. No 1/21/2013-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note:—The Principal rules were published in the Official Gazette vide notification number G.S.R. 251(E) dated 31st March, 2014.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi.110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi.110054.